रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122025-268406 CG-DL-E-11122025-268406

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5542]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947

No. 5542]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5730(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला नियंत्रक संगठन को, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए कोयला विनिमय को रिजस्टर तथा विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. सीएलडी-23011/37/2020-सीएलडी]

संजीव कुमार कस्सी, संयुक्त सचिव

8322 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2025

S.O. 5730(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby appoints the Coal Controller Organisation as the authority to register and regulate coal exchanges, for minerals specified in Part A of the First Schedule of the said Act.

[F. No. CLD-23011/37/2020-CLD] SANJEEV KUMAR KASSI, Jt. Secy.